न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एन०–75 / 18
धारा–107 द०प्र०सं०
सनिका मुण्डा वगैरह .....प्रथम पक्ष
बनाम
याकुब मुण्डा वगैरह.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
08 /03 /2019	प्रस्तुत वाद में दशमफॉल थाना के अप्राथमिकी संख्या–01 / 18 दिनांक–09 / 06 / 2018 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद हड़गड़ी को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के सदस्य तथा 30 परिवार 200 सदस्यों के साथ अपने पूर्वजों के समय से ही खाता संख्या–111, प्लॉट–360, रकवा–26 डी0 लगभग–26 डी0 का जमीन हड़गड़ी के रूप में करते आ रहे है, जो कि खतियान में गैर मजरूआ हड़गड़ी के नाम से दर्ज है तथा अन्युक्ति कॉलम में बकब्जे सिनु मुण्डा खेवट संख्या–05 दर्ज है। आर०एस० खेवट संख्या–05 सी. एस. खेवट संख्या–09 से बना है। सिनु मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा प्रथम पक्ष के पूर्वज है। प्रथम पक्ष के सदस्य मौजा–सुकरूडीह, टोली–आराडीह के खेवटदार है। हड़गड़ी पर उनका संवैधानिक अधिकार के साथ ही मुण्डा कस्टमरी लॉ के तहत भी अधिकार है। तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य हड़गड़ी से प्रथम पक्ष को संवैधानिक अधिकार के तहत रोक नहीं सकते है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य खेवट संख्या–05 के मालिक तथा उत्तराधिकारी है। खेवट संख्या–05 सिनु मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा जाति–मुण्डा दर्ज है। द्वितीय पक्ष के याकुब मुण्डा खेवट 5 के खेवटदार है, जो खाता संख्या–111, प्लॉट संख्या–360, रकवा–26 डी0 मौजा–चुरगी पर स्थित हड़गड़ी का उपयोग अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे है। प्रथम पक्ष के सदस्य मौजा–चुरगी के न तो खेवटदार है न ही वहाँ के ग्रामीण है। प्रथम पक्ष के सदस्य आर०एस० खाता संख्या–62 के उत्तराधिकारी है, जो कि पण्डा मुण्डा पिता–चागो मुण्डा वो लागो मुण्डा पिता–लिहा मुण्डा वो दसाई मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा वो रूसु मुण्डा पिता–कानु मुण्डा वो सनिका मुण्डा पिता–बराकी मुण्डा वो सुकराम मुण्डा वो कानु मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा साकिन देह टोली सुकरीडीह के नाम से दर्ज है। वर्त्तमान में प्रथम के सदस्य सुकरीडीह में रहते है। प्रथम पक्ष का हड़गड़ी नहीं है। बल्कि बलपूर्वक द्वितीय पक्ष के हड़गड़ी का उपयोग करना चाहते है, जिससे उस स्थल पर शांति भंग होने की संभावना को आमंत्रित कर रही है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1 :– थोमस मुण्डा पिता–हीरदा मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि ससंदरी में हड़गड़ी करने के लिए पत्थर रखने का विवाद हुआ। ससंदरी चुरगी मौजा आरांडीह टोला, थाना–दशमफॉल, आर०एस० खाता सं०–111, प्लॉट–360, रकवा–26 डी0 के दाहिना खण्ड में सिनु मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा खेवट संख्या–5 हड़गड़ी लिखा हुआ है। सिनु मुण्डा पिता–तोपा मुण्डा के वंशज सानिका मुण्डा, बुढ़न मुण्डा, सोमा मुण्डा लोग है। यह लोग इस केस में प्रथम पक्ष है। प्रथम पक्ष के लोग हड़गड़ी में पत्थर रखने का कार्य दादा–परदादा काल से करते आ रहे है। विवादित स्थल को लेकर उभय पक्ष में मार–पीट नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 2 :– सिनु मुण्डा पिता–सोहराई मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जब विवाद हुआ तो झगड़ा हुआ। प्रथम पक्ष के पत्थर को याकुब मुण्डा और लुसा मुण्डा ले गये। यह घटना को मैंने अपने आँखो से देखा हूँ। हड़गड़ी में प्रथम पक्ष के लोग दादा–परदादा के समय से पत्थर गाड़ते आ रहे है। यह बात सत्य है कि इस वर्ष प्रथम पक्ष के लोग खेवट संख्या–05 पर दावा

08/03/19

तिथि	आदेश

कर रहे है। इस हड़गड़ी स्थल पर द्वितीय पक्ष एवं उनके परिवार का पूर्वजों के
समय से हड़गड़ी स्थल के रूप मे चला आ रहा है। हड़गड़ी स्थल पर मारपीट की घटना
नहीं हुई है। हड़गड़ी स्थल द्वितीय पक्ष का है। इस वर्ष हड़गड़ी करने के लिए प्रथम पक्ष
इस पर दावा कर रहा है।

<u>प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:</u>– सानिका मुण्डा पिता–बीरू मुण्डा ने अपने गवाही के
परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि हमलोग हड़गड़ी करने गए थे। पत्थर याकुब
और लुसा लोग फेंके। द्वितीय पक्ष खेवट संख्या–05 के वंशज है। द्वितीय पक्ष के लोग
हड़गड़ी स्थल का उपयोग अपने दादा–परदादा के समय से करते आ रहे है। मैं 05 खेवट
का वंशज हूँ। हमलोग पहली बार विवदित स्थल पर 01 / 06 / 2018 को पत्थरगड़ी करने
गए। यह विवाद खेवट संख्या–5 और हड़गड़ी दोनों से संबंधित है। वर्तमान में हमलोग
खेवट संख्या–05 पर दावा कर रहे है और उसी के आधार पर हड़गड़ी में भी दावा कर रहे
है क्योंकि हड़गड़ी स्थल खेवट संख्या–05 के वंशजों का है।

<u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह 1:</u>– मोसो मुण्डा पिता–राड़सी मुण्डा ने अपने गवाही के
परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि हड़गड़ी स्थल खाता सं0–111, प्लॉट–380,
रकबा–26 डी0 मौजा–चुरगी है। ये जो हड़गड़ी है वो याकुब मुण्डा वगैरह द्वितीय पक्ष का
है। प्रथम पक्ष के लोग कभी भी हड़गड़ी स्थल में हड़गड़ी नहीं लगाए है। इस बार प्रथम
पक्ष के लोग हड़गड़ी को अपनाने के लिए केस किए है। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच
अभी बातचीत होता है।

<u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह 2:</u>– मंगल सिंह मुण्डा पिता–मुचीराम मुण्डा ने अपने
गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण मे बयान दिया है कि हड़गड़ी 5 खेवट में आता है।
द्वितीय पक्ष के लोग हड़गड़ी स्थल का उपयोग अपने दादा–परदादा के समय से करते आ
रहे है। प्रथम पक्ष के लोग इस हड़गड़ी स्थल पर कभी हड़गड़ी नहीं किए है। प्रथम पक्ष,
द्वितीय पक्ष के हड़गड़ी को जबरजस्ती कब्जा करने के लिए केस किया है। उभय पक्ष में
कभी लड़ाई–झगड़ा या मारपीट नहीं हुआ है।

<u>द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह:</u>– याकुब मुण्डा पिता–थोमस मुण्डा उर्फ वीर सिंह मुण्डा
ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह केस प्रथम पक्ष
जबरजस्ती 5 खेवट का हड़गड़ी कब्जा करने के लिए किया है। विवादित हड़गड़ी स्थल
में आजतक कभी भी प्रथम पक्ष के लोग हड़गड़ी के रूप में इसका उपयोग नहीं किया है।
प्रथम पक्ष अपने आप को खेवट नं०–5 का दावा करता है, वह गलत करता है। प्रथम पक्ष
के लोग हड़गड़ी के लिए शिलापट्ट ही नहीं ले गऐ तो मैं कैसे फेकूंगा। केस होने के बाद
उभय पक्ष में लड़ाई नहीं हुआ है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, पुलिस प्रतिवेदन, प्रस्तुत
गवाहों के बयान एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता
है कि विवाद हड़गड़ी के साथ ही खेवट संख्या–5 के उत्तराधिकारी (वंशज) होने की
दावेदारी को लेकर भी है, जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्तमान में शांति–व्यवस्था
कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे।
वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

08/03/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

08/03/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.24 15:53:51 +05:30
Location: 10.93.79.5